मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

'एजूकेशन हब' या शिक्षा का सत्यानाश
पलवल : न विकास न कानून व्यवस्था 3

घोटाले होते रहेंगे क़यामत तक
धर्म के नाम पर लूट कब तक 4

कॉरपोरेट दलाली यानी लॉबिग
ग़रीब बना मजाक 6

हुड्डा ने बांटी 2.35 करोड़ की रेवड़िया
ईएसआई का डीजी पढ़ा–लिखा मूर्ख 8

वर्ष 26 अंक 23 फरीदाबाद, बुधवार, 16-31 अक्टूबर 2013 फोन : - 9999595632 ₹ 2

अदालतों पर विश्वास किसे !

जेल जाता हर बदमाश–लुटेरा ही न्याय व्यवस्था का गुणगान करता है

नई दिल्ली, मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

बिहार के गांव लक्ष्मणपुर बाथे के 24 वर्ष पुराने दलित नरसंहार के बचे लोग़ों से पूछिये कि उन्हें आज अदालतों पर कितना विश्वास है। पटना हाईकोर्ट ने 58 स्त्री-पुरुष-बच्चों की हत्या के तमाम 26 दबंगों को निदोर्ष करार देकर छोड़ दिया। इन दोषियों को निचली अदालत ने फ़ांसी व उम्रकैद की सज़ायें दी थीं। दोषियों की रिहाई करते समय हाईकोर्ट ने यह निर्देश देना भी जरूरी नहीं समझा कि गांव के बचे दलितों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाय। ऐसी न्याय व्यवस्था में किसी भी कमजोर को कैसे विश्वास होगा?

इसके बरक्स चारा घोटाला के मामले में डेढ दशक से भी ज़्यादा अर्सा होने के बाद जब लालू यादव को सज़ा सुनाई गयी तो राजनीतिक विरोधियों को कोसने के साथ-साथ उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था में अपनी आस्था भी दोहराई। आसाराम ने यही कहा था; सुरेश कलमाड़ी ने औम प्रकाश चौटाला ने, राजा, और कानीमोजी ने, गरज कि हर पैसे व रसूखवाले ने जेल जाते समय यह रस्म अदा करनी ही होती है।

अव्वल तो इन पर मुकदमें बनते नहीं, बन जाय तो आगे नहीं बढते, बढें भी तो इनकी गिरफ़्तारियां नहीं होती, गिरफ़्तारियां हो भी जाय तो जमानत होना तय है, यह भी तय है कि उनके वकील मुकदमें को 15-20 साल तो खींचेगे ही, यदि सज़ा हो भी गयी तो अपील से छूट जायेंगे। तो जब ऐसी न्याय व्यवस्था उन्हें उपलब्ध है, फ़िर वे उसमें विश्वास क्यों न व्यक्त करें।/

अदालतें जब इन देशद्रोहियों व जनशोषकों को छुटपुट सज़ा सुनाती भी हैं

तो भी इनकी सैंकड़ों-हज़ारों करोड़ की लूट इन्हीं के पास रहने देती हैं। अब यदि 2-4 बरस जेल के नाम पर एक सुविधा-सम्पन्न चारदिवारी में समय गुज़ार भी आये तो भी पैसे के दम पर राजनीति, व्यवसाय और सामाजिक प्रभाव चलता रहता ही है। बस बाहर से इनका स्थान इनके कुनबे का अन्य विश्वासपात्र ले लेता है जैसे कि लालू की जगह उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी बैठा दी गयी हैं।

अदालतों में सत्ताधारियों का विश्वास भी पूरा रहता है और वे इसकी घोषणा भी समय-समय पर करते रहते हैं। मसलन, गत दस वर्षों से चलने वाली केन्द्र की मनमोहन सोनिया सरकार को लीजिये। अपने समर्थन में विपक्षी दलों के सांसद जुटाने के लिये वे सीबीआई से बंदर-बिल्ली का खेल चलवाते आ रहे हैं। कभी मायावती पर शिकंजा बढ़ा दिया तो कभी मुलायम का शिकंजा ढीला कर दिया। जिस जगनमोहन रेड्डी की 16 महीने जमानत नहीं होने दी, उसे एन चुनाव से पहले जमानत दिला दी। रेल रिश्वत कांड के मुख्य आरोपी तत्कालीन रेल मन्त्री पवन बंसल को गवाह बना दिया और शेष प्रमुख अभियुक्तों की जमानत होने दी।

गुजरात के फ़र्जी मुठभेड़ों के मुख्य अभियुक्त पुलिस डीआईजी वंजारा के मोदी और अमितशाह पर लिखित में षड़यन्त्र का मुख्य स्रोत होने का आरोप लगाने के बावजूद डायरेक्टर सीबीआई (पिंजड़े के तोते) से बयान दिलवा दिया कि वनजारा के बयान की कोई कानूनी अहमियत नहीं है। 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में जिनकी कम्पनियां आकंठ लूट में शामिल थीं, उन अनिल अंबानी दंपत्ति को सीबीआई की मार्फ़त बजाय अभियुक्त बनाने के गवाह बनाया गया। गवाही में भी इन अंबानियों ने पूरा असहयोग दिखाते हुए कुछ भी बताने से इन्कार किया और अदालत चुप रही।

तो इसमें ताज्जुब ही क्या है कि इन तमाम लोग़ों की श्रद्धा भारतीय अदालतों में बनी हुई है। ये वही अदालतें हैं जो कार्पोरेटों को आधी रात में भी राहत देती हैं। पर 1984 के सिख दंगों के जगजाहिर हत्यारों को 3 दशक बाद भी सज़ा नहीं दे सकी हैं। 1992 का बाबरी मस्जिद कांड हुए दो दशक से ऊपर हो चुके हैं, और 2002 के गुजरात नरसंहार को एक दशक से ऊपर हो चुका है। इन मामलों के सारे षड़यन्त्रकारी खुलेआम दनदनाते घूम रहे हैं और अदालतें सो रही हैं। भोपाल गैसकांड जैसी अभूतपूर्व औद्योगिक त्रासदी का मुख्य अभियुक्त एंडरसन तो मुकदमे में कभी हिदुस्तान आया ही नहीं।

शेष पेज 2 पर

हुड्डा की सादगी पर कुर्बान...

हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अपने गृह ज़िले रोहतक के घरनावती हत्याकांड की ज़िम्मेदारी से खापों को मुक्त करने का अभियान चलाया हुआ है। उनके अनुसार लड़की के कुनबे द्वारा लड़की व उसके प्रेमी की बर्बर हत्या की ज़िम्मेदारी अकेले लड़की के परिवार की है इसमें सम्बन्धित खाप की कोई भूमिका नहीं है।

हुड्डा साहब का सतही तर्क किसी के भी गले नहीं उतर सकता। ये हत्यारे आज खाप समाज के हीरो बने हुए हैं। खाप की ओर से इन हत्याओं के विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। उल्टे इन हत्याओं को यह कह कर सही ठहराया जा रहा है कि गोत्र-विवाह की अनुमति देना भाई-बहन की शादी कराने जैसा होगा। हुड्डा साहब भी गाहे-बगाहे इसी तर्क को दोहराते आ रहे हैं। न खाप और न हुड्डा यह मानने को तैयार हैं कि शादी की इजाजत न देना और हत्यायें करना दो अलग-अलग बातें हैं।

मुख्यमंत्री के रूप में हुड्डा की मजबूरी है कि वे खापों को नाराज नहीं

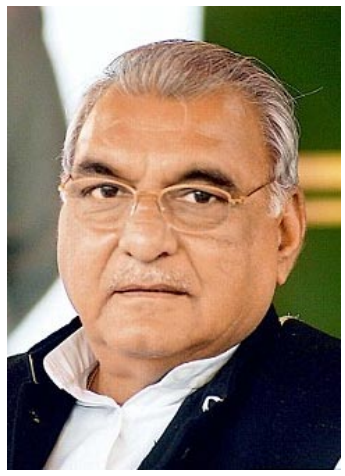

कर सकते। आखिर वोट बैंक का मामला जो ठहरा। लिहाज़ा 'चोर को कहो चोरी कर और शाह को कहो जागते रहो' की नीति पर चलना उनकी मजबूरी है। उनके गृह नगर में 'इज्जत' के नाम पर ऐसी हत्यायें होती ही रहती हैं। अगर उनमें ज़रा भी नैतिक आक्रोश बचा होता तो वे इस प्रवृति के विरुद्ध एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करते। पर फ़िलहाल वे खापों के वकील बने हुए हैं।

अमेरिकी जनरलों को सज़ा, भारतीयों को मज़ा ...

अमेरिका की सर्वोच्च सैनिक अथॉर्टी ने अपने दो जनरलों को इसलिये सेवा से निकाल दिया कि वे अफ़गानिस्तान में नाटो अड्डे पर तालीबानी हमले को नहीं रोक सके। जनरल चार्ल्स गुरगानस तथा जनरल ग्रेग स्टुरडेबंट को इस मामले में लापरवाही का दोषी पाया गया क्योंकि उन्होंने अड्डे की सुरक्षा के जरूरी उपाय नहीं किये थे। 14-15 सितम्बर को हुए इस हमले में 2 सैनिक मारे गये थे और 6 लड़ाकू जेट विमान नष्ट हो गये थे।

इसके बरक्स पाकिस्तान की सीमा पर भारतीय जनरलों की लापरवाही से 2 बड़े हमले हो चुके हैं। इनमें न सिर्फ़ सैनिकों की जान गयी है बल्कि सेना की प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंची है। पर बजाय सम्बन्धित भारतीय जनरलों पर कार्यवाही करने के, सरकार व विपक्ष द्वारा बस पाकिस्तान को कोसने का राग अलापा जा रहा है। याद रहे कि एक हमले में नियन्त्रण रेखा पर 5 सैनिकों का पूरा गश्ती दल पाकिस्तानी घुसपैंठियों द्वारा मार दिया गया था। दूसरे हमले में तो आत्मघाती घुसपैंठिये जम्मू स्थित एक फौजी यूनिट के भीतर घुस आये और उन्होंने एक बड़े अफ़सर समेत कई सैनिकों को मार दिया।

दोनों मामले पूरी तरह रणनीतिक एवं प्रशासनिक लापरवाही के बनते हैं। पर न भारतीय सेना ने और न भारतीय सरकार ने सम्बन्धित जनरलों की जवाबदेही तय करने की जरुरत समझी है।

यहां तक कि मुख्य विपक्षी दल भाजपा और उसके प्रधानमंत्री पद के दावेदार मोदी ने भी इस पहलू पर पूरी चुप्पी साध रखी है। जब फ़िर अगला हमला होगा तो यह चुप्पी टूटेगी सिर्फ़ पाकिस्तान को कोसने के लिये।

ख़बर दार

बलात्कारी आसाराम का वकील 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया'

सहसा आंखों पर विश्वास नहीं होता। 6 सितम्बर 2013 के 'दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया' के नई दिल्ली संस्करण के पृष्ठ 16 पर बलात्कारी आसाराम के कुकृत्यों को उचित ठहराने की कोशिश में एक पूरा विश्लेषणयुक्त लेख दिया गया है।

लेख का मुख्य बिंदू यह है कि हिन्दू धर्म में आध्यात्मिक गुरूओं के लिये सेक्स वर्जित नहीं है, जैसा कि ईसाई धर्म में बताया गया है। विश्लेषण के अनुसार हिन्दुओं में कृष्ण की परंपरा यही बताती है कि सेक्स का विषय आनंद एवं उत्सव के लिये होता है।

उपरोक्त विश्लेषण को 'टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क' द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दूसरे

शब्दों में यह 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' अखबार का अपना अधिकारिक वर्णन है। इसमें ओशो रजनीश को उद्धृत किया गया है कि जबरदस्ती का ब्रह्मचर्य मनुष्य की आत्मा को नष्ट कर देता है।

विश्लेषण का निष्कर्ष यह है कि एक गृहस्थ के रूप में आसाराम को यौनिक सम्बन्ध बनाने या यौनिक इच्छायें रखने के लिये महज इसलिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह एक आध्यात्मिक उपदेशक है। विश्लेषण में कहीं यह ध्वनित करने की कोशिश नहीं की गयी है कि उपरोक्त तर्कों का आसाराम जैसे बलात्कारी के बचाव से क्या सम्बन्ध हो सकता है?

आसाराम ने कपट से एक 16 वर्षीय लड़की को उसकी इच्छा के विपरीत संभोग के लिये विवश किया। बात खुल जाने पर लड़की के परिवार को मुंह बंद रखने हेतु आसाराम के गुर्गों द्वारा धमकियां व पैसे का लालच दिया गया।

शेष पेज 2 पर